न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 14/2020 (2020/00044)

तारीख दायरा–14.02.2020
तारीख निर्णय–14.01.2021

1. श्री अमरा पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री भुरा पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री भजा पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मांगु पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. श्री मन्ना पिता वना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री पुना पिता वना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री केसा पिता वना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री लछा पिता वना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री देवा पिता वना मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री वगता पिता राजा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
7. श्री जेता पिता राजा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री नवा पिता राजा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री नंगा पिता राजा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
10. श्रीमती गलाबी पत्नी राजा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
11. श्री भंवरीया पिता डुला मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
12. श्री मोहन पिता धुला मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
13. श्रीमती मोतकी पुत्री गमना पत्नी भेरा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
14. श्रीमती लाली पुत्री गमना पत्नी भंवरा मोगीया उम्र वयस्क निवासी मोगीयो का थाना, रोयडा तहसील गोगुन्दा।
15. श्री धीसा पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी तलादरी तहसील कुम्भलगढ।
16. श्री ईन्द्रलाल पिता गमना मोगीया उम्र वयस्क निवासी तलादरी तहसील कुम्भलगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:50 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री शिवशंकर जोशी

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि मौजा रोयडा पटवार सर्कल करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 17 में आराजी संख्या 3463 रकबा 0.1400 है0 भुमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के पास में विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 3455, 3456, 3461, 3466, 3465 स्थित है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास–पास होने से सीमा बंदी के बारे में आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के खातेदारी में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाते है, जिस बाबत् प्रार्थी ने कई बार सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण उक्त सीमा जानकारी को नहीं मानकर आये दिन सीमा क्षेत्र के पत्थरों को फेंक देते है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य सीमाओं पर पूर्ण नपती के पश्चात पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब गोगुन्दा के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण बावजुद सुचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजियात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण द्वारा पत्थरगढी नही किये जाने वावत् तथ्य प्रस्तुत नही किया है, जबकि बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा रोयडा पटवार सर्कल करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 17 में आराजी संख्या 3463 रकबा 0.1400 है0 भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में [illegible] किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर [illegible] प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर [illegible] दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को मेरे द्वा[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:50 IST
Reason: SelfAttested

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला–उदयपुर(राज.)